POLICE COMMISSIONERATE

PRAYAGRAJ

सराहनीय कार्य / प्रेस विज्ञप्ति- दिनांक 24.09.2025

थाना सोरांव पुलिस टीम द्वारा 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 02 अवैध चापड़ बरामद

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय व अपर पुलिस आयुक्त के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान् पुलिस उपायुक्त गंगानगर व अपर पुलिस उपायुक्त गंगानगर के कुशल पर्यवेक्षण में व सहायक पुलिस आयुक्त सोरांव के कुशल नेतृत्व में गंगानगर-जोन के थाना सोरांव पर पंजीकृत मु0अ0सं0-303/25 धारा-3/5/8 उ0प्र0 गोवध निवारण अधिनियम से सम्बन्धित 02 वांछित अभियुक्त 1. हसनैन पुत्र स्व0 मुस्ताक निवासी दहियावां थाना होलागढ़ कमिश्नरेट प्रयागराज 2. मो0 जावेद पुत्र रकीब निवासी अरईस मौहल्ला थाना सोरांव कमिश्नरेट प्रयागराज को थाना सोरांव पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक-24.09.2025 को थाना सोरांव क्षेत्रान्तर्गत चक मोहनदास चकिया स्थित पैट्रोल पम्प के पास से घटना मे प्रयुक्त 02 चापड़ के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा-4/25 आर्म्स एक्ट की बढ़ोत्तरी कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. हसनैन पुत्र स्व0 मुस्ताक निवासी दहियावां थाना होलागढ़ कमिश्नरेट प्रयागराज, उम्र करीब 25 वर्ष।

2. मो0 जावेद पुत्र रकीब निवासी अरईस मौहल्ला थाना सोरांव कमिश्नरेट प्रयागराज, उम्र करीब 21 वर्ष।

सम्बंधित अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0-303/25 धारा-3/5/8 उ0प्र0 गोवध निवारण अधिनियम व बढ़ोत्तरी धारा-4/25 आर्म्स एक्ट थाना सोरांव प्रयागराज।

बरामदगी का विवरण-

02 अवैध चापड़ बरामद।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. प्र0नि0 केशव वर्मा, थाना सोरांव कमिश्नरेट प्रयागराज।
2. उ0नि0 आलोक कुमार सिंह, थाना सोरांव कमिश्नरेट प्रयागराज।
3. उ0नि0 धीरज प्रजापति, थाना सोरांव कमिश्नरेट प्रयागराज।
4. उ0नि0 घनश्याम यादव, थाना सोरांव कमिश्नरेट प्रयागराज।
5. का0 अरविन्द पटेल, थाना सोरांव कमिश्नरेट प्रयागराज।
6. का0 अनुज कुमार बाजपेयी, थाना सोरांव कमिश्नरेट प्रयागराज।

थाना सरायइनायत पुलिस टीम द्वारा 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय व अपर पुलिस आयुक्त के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान् पुलिस उपायुक्त गंगानगर व अपर पुलिस उपायुक्त गंगानगर के कुशल पर्यवेक्षण में व सहायक पुलिस आयुक्त थरवई के कुशल नेतृत्व में गंगानगर-जोन के थाना सरायइनायत पर पंजीकृत मु0अ0सं0-260/2025 धारा-

87/137(2)/351(2) भा0न्या0सं0 से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त अंकित कुशवाहा उर्फ शाहिल कुशवाहा पुत्र स्व0 इन्द्रपाल निवासी डुडुही थाना सरायइनायत कमिश्नरेट प्रयागराज को थाना सरायइनायत पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक-24.09.2025 को थाना सरायइनायत क्षेत्रान्तर्गत डुडुही रेलवे क्रासिंग के पास से गिरफ्तार किया गया। पीड़िता के बयान व साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा-64(2)(ड)/352 भा0न्या0सं0, 5/6 पॉक्सो एक्ट व 3(2)V SC/ST ACT की बढ़ोत्तरी कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

अंकित कुशवाहा उर्फ शाहिल कुशवाहा पुत्र स्व0 इन्द्रपाल निवासी डुडुही थाना सरायइनायत कमिश्नरेट प्रयागराज, उम्र करीब 23 वर्ष।

सम्बंधित अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0-260/2025 धारा-87/137(2)/351(2) भा0न्या0सं0 व बढ़ोत्तरी धारा-64(2)(ड)/352 भा0न्या0सं0, 5/6 पॉक्सो एक्ट व 3(2)V SC/ST ACT थाना सरायइनायत कमिश्नरेट प्रयागराज।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 सूर्यप्रकाश सिंह, थाना सरायइनायत कमिश्नरेट प्रयागराज।
2. उ0नि0 शिवानन्द यादव, थाना सरायइनायत कमिश्नरेट प्रयागराज।
3. का0 सर्वेश यादव, थाना सरायइनायत कमिश्नरेट प्रयागराज।
4. का0 सुधीर कुमार, थाना सरायइनायत कमिश्नरेट प्रयागराज।

थाना नैनी पुलिस टीम द्वारा 24 घंटे के अन्दर 01 नामजद वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

थाना नैनी पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 503/2025 धारा 376(2)(n)/323 भा0द0वि0 के नामजद वांछित अभियुक्त सुमित कुमार पुत्र राजेन्द्र प्रसाद उम्र करीब 31 वर्ष निवासी स्थायी पता रामनगर नवादा बिहार हाल पता पाल मार्केट, थाना नैनी, जनपद प्रयागराज को दिनांक-23.09.2025 को 24 घंटे के अंदर मुखबिर की सूचना पर अशोक टाकिज चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

संक्षिप्त विवरण-

वादिनी मुकदमा/पीड़िता की तहरीर बाबत विपक्षी द्वारा शादी का झांसा देकर पीड़िता के साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाने तथा विरोध करने पर पीड़िता के साथ हाथापाई करने के संबंध में थाना नैनी पर दिनांक-23.09.2025 को मु0अ0सं0 503/2025 उपरोक्त पंजीकृत किया गया। अभियोग उपरोक्त पंजीकृत कर अभियुक्त की तलाश की जा रही थी, जिसके क्रम में दिनांक-23.09.2025 को ही थाना नैनी पुलिस टीम द्वारा 24 घंटे के अंदर मुखबिर की सूचना पर नामजद अभियुक्त सुमित कुमार उपरोक्त को अशोक टाकिज चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

सुमित कुमार पुत्र राजेन्द्र प्रसाद निवासी स्थायी पता रामनगर नवादा बिहार हाल पता पाल मार्केट, थाना नैनी, जनपद प्रयागराज, उम्र करीब 31 वर्ष।

संबंधित अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0-503/2025 धारा-376(2)(n)/323 भा0द0वि0 थाना नैनी कमिश्नरेट प्रयागराज।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1.प्र0नि0 बृजकिशोर गौतम, थाना नैनी कमिश्नरेट प्रयागराज।

2.उ0नि0 शिवजी गुप्ता, थाना नैनी कमिश्नरेट प्रयागराज।

3.का0 अमलेश चौहान, थाना नैनी कमिश्नरेट प्रयागराज।

थाना शंकरगढ़ पुलिस टीम द्वारा थाना शंकरगढ़ क्षेत्रांतर्गत ग्राम फूलतारा में घटित हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुये 01 अभियुक्त व 01 अभियुक्ता गिरफ्तार, निशांदेही पर घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल, कपड़ा, पत्थर के टुकड़े बरामद

आज दिनांक-24.09.2025 को थाना शंकरगढ़ पुलिस टीम द्वारा थाना शंकरगढ़ क्षेत्रांतर्गत ग्राम फूलतारा में घटित हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुये साक्ष्यों के आधार पर प्रकाश में आया 01 अभियुक्त विकास पुत्र नचकऊ निवासी फूलतारा थाना शंकरगढ़ जनपद प्रयागराज व 01 अभियुक्ता संध्या सिंह पत्नी रवि उर्फ सोनू सिंह निवासी फूलतारा थाना शंकरगढ़ प्रयागराज को थाना क्षेत्र शंकरगढ़ से गिरफ्तार कर अभियुक्त विकास पुत्र नचकऊ उपरोक्त की निशांदेही पर घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल, कपड़ा, पत्थर बरामद किया गया। नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक-21.09.2025 को थाना स्थानीय पुलिस को सूरज सिंह पुत्र सत्यराज सिंह निवासी फूलतारा नारीबारी थाना शंकरगढ़ प्रयागराज द्वारा सूचना दिया गया कि उनके भाई रवि उर्फ सोनू सिंह दिनांक-19.09.25 को अपने लेबर को खाना पहुंचाने गये थे लेकिन वापस नही आये। उक्त सूचना के आधार पर थाना स्थानीय पर गुमशुदगी दर्ज कर तत्काल गंभीरता पूर्वक कार्यवाही करते हुए सोशल मीडिया, मोबाईल काल डिटेल एवं अन्य स्त्रोतो से गुमशुदा रवि उर्फ सोनू सिंह के संबंध में जानकारी करने का प्रयास किया जा रहा था, कि इसी दौरान दिनांक-

22.09.25 को सूचना प्राप्त हुयी कि गुमशुदा रवि उर्फ सोनू सिंह का शव गांव के बाहर एक खेत में बने कुएं में पाया गया है। सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराते हुए तत्काल थाना प्रभारी शंकरगढ़, पुलिस चौकी प्रभारी नारीबारी मय फोर्स मौके पर तथा आवश्यक कार्यवाही की गयी। दिनांक-22.09.2025 को मृतक के भाई सूरज सिंह पुत्र सत्यराज सिंह निवासी फूलतारा नारीबारी थाना शंकरगढ़ प्रयागराज की तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0-158/2025 धारा-103(1)/238(A) बीएनएस बनाम अज्ञात के विरूद्ध पंजीकृत कर अभियोग के अनावरण हेतु गठित थाना शंकरगढ़ की पुलिस टीमों द्वारा घटनास्थल के आस-पास के लोगों के बयान एवं सीसीटीवी कैमरे के फुटेज एवं मोबाइल सीडीआर के आधार पर प्रयास किया जा रहा था। जिसके क्रम में आज दिनांक-24.09.2025 को साक्ष्यों के आधार पर 01 अभियुक्त विकास पुत्र नचकऊ व 01 अभियुक्ता संध्या सिंह पत्नी रवि उर्फ सोनू सिंह उपरोक्त को नारीबारी से खीरी जाने वाले मार्ग पर टोंस नदी पर बने पुल के पास थाना क्षेत्र शंकरगढ़ से गिरफ्तार कर अभियुक्त विकास पुत्र नचकऊ उपरोक्त की निशांदेही पर घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल, कपड़ा, पत्थर बरामद किया गया।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ पर अभियुक्त विकास पुत्र नचकऊ उपरोक्त ने बताया कि मेरा प्रेम संबंध मेरे गांव के रहने वाले रवि उर्फ सोनू सिंह की पत्नी संध्या सिंह से था जिनसे फोन पर हमेशा बातचीत होती रहती थी एवं उनसे मेरा मिलना जुलना भी होता था। इस बात की जानकारी रवि उर्फ सोनू सिंह को हो गयी थी जिसके कारण वे अपनी पत्नी संध्या सिंह को प्रताड़ित करते रहते थे। संध्या सिंह अपने पति के दुर्व्यवहार से परेशान हो गयी थी। एवं बार बार मुझसे कहती थी कि मुझे मेरे पति से आजादी दिला दो। उनके पति हम लोगो के प्रेम संबंध में बाधा बन रहे थे। जिसके कारण संध्या सिंह और मैनें मिलकर रवि उर्फ सोनू सिंह को रास्ते से हटाने की य़ोजना बनायी। योजना के तहत दिनांक 19.09.2025 को जब रवि उर्फ सोनू सिंह अपने लेबर को खाना पहुंचाने खेत पर गये तब रवि उर्फ सोनू सिंह की पत्नी संध्या सिंह ने मुझे फोन करके बताया कि मेरे पति खेत पर गये है। आज किसी भी तरह मुझे आजादी दिला दो। उनको रास्ते से हटा दो। मैं अपने घर से खंती लेकर रवि उर्फ सोनू सिंह की हत्या करने की नियत से खेतो की तरफ गया जहां मुझे रवि उर्फ

सोनू सिंह रास्ते में आते हुए दिखायी दिये। मैने खंती से उनके सिर एंव गले पर हमला कर दिया जिससे वें घायल होकर गिर गये उनको वहीं छोड़कर मै अपने घर चला गया। लेकिन मुझे डर लगने लगा कि इस घटना के बाद लोग मुझ पर ही शक करेगें। जिसके कारण मैं दोबारा देर रात घटनास्थल पर पहुंचा एवं रवि उर्फ सोनू सिंह के शव को छुपाने की नियत से शव को कंधे पर उठाकर पास में स्थित विवेक सिंह के कुएं के पास ले गया एवं कुएं के पास में पड़े पत्थरों को एक साड़ी में बांधकर गट्ठर बनाकर रवि उर्फ सोनू सिंह के कमर में बांध दिया एवं शव को कुंएं में फेंक दिया।

गिरफ्तार अभियुक्त व अभियुक्ता का विवरण-

1.विकास पुत्र नचकऊ निवासी फूलतारा थाना शंकरगढ़ जनपद प्रयागराज, उम्र करीब 35 वर्ष।

2.संध्या सिंह पत्नी रवि उर्फ सोनू सिंह निवासी फूलतारा थाना शंकरगढ़ जनपद प्रयागराज, उम्र करीब 24 वर्ष।

संबंधित अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0-158/2025 धारा-103(1)/238(A) बीएनएस थाना शंकरगढ़ कमिश्नरेट प्रयागराज।

बरामदगी का विवरण-

1. 01 खंती आलाकत्ल (अभियुक्त विकास उपरोक्त की निशांदेही पर)
2. 03 पत्थर के टुकड़े घटना में प्रयुक्त (अभियुक्त विकास उपरोक्त की निशांदेही पर)
3. 01 साड़ी रंग नीला पत्थरों को बांधने हेतु प्रयुक्त (अभियुक्त विकास उपरोक्त की निशांदेही पर)
4. घटना के समय पहना हुआ 01 हाफ पैंट, 01 लोवर, 01 हाफ टीशर्ट (अभियुक्त विकास उपरोक्त की निशांदेही पर)

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. प्र0नि0 यशपाल सिंह, थाना शंकरगढ़ कमिश्नरेट प्रयागराज।
2. उ0नि0 रमेश कुमार सिंह, थाना शंकरगढ़ कमिश्नरेट प्रयागराज।

3. उ0नि0 गौरव यादव, थाना शंकरगढ़ कमिश्नरेट प्रयागराज।
4. उ0नि0 आदित्य कुमार, थाना शंकरगढ़ कमिश्नरेट प्रयागराज।
5. म0उ0नि0 वैशाली अग्रहरि, थाना शंकरगढ़ कमिश्नरेट प्रयागराज।
6. म0उ0नि0 सुष्मिता मौर्या, थाना शंकरगढ़ कमिश्नरेट प्रयागराज।
7. हे0का0 अनिल कुमार यादव, थाना शंकरगढ़ कमिश्नरेट प्रयागराज।
8. हे0का0 इरफान अहमद, थाना शंकरगढ़ कमिश्नरेट प्रयागराज।
9. का0 धर्मेन्द्र कुमार, थाना शंकरगढ़ कमिश्नरेट प्रयागराज।
10. चालक सुजीत यादव थाना शंकरगढ़ कमिश्नरेट प्रयागराज।

थाना मेजा पुलिस टीम द्वारा 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

थाना मेजा पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-520/25 धारा-74/352/351(2) बीएनएस व 7/8 पॉक्सो एक्ट का वांछित अभियुक्त गोरे उर्फ सत्य प्रकाश यादव पुत्र हरिश्चन्द्र यादव निवासी ग्राम कपारी मोड थाना शंकरगढ कमि0 प्रयागराज को आज दिनांक-24.09.2025 को अमिलहवा चौराहा सिरसा के पास थाना क्षेत्र मेजा से गिरफ्तार कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

संक्षिप्त विवरण-

वादी मुकदमा की नाबालिग पुत्री के साथ अभियुक्त द्वारा छेड़छाड करने एवं अश्लील हरकत करने तथा वादी की पत्नी को गाली गलौज देने व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में दिनांक-23.09.2025 को वादी द्वारा थाना मेजा पर प्रार्थना पत्र दिया गया। उक्त प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-520/25 धारा उपरोक्त पंजीकत किया गया। आज दिनांक-24.09.2025 को मुकदमा उपरोक्त के नामजद अभियुक्त गोरे उर्फ सत्य प्रकाश यादव उपरोक्त को थाना क्षेत्र मेजा से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

गोरे उर्फ सत्य प्रकाश यादव पुत्र हरिश्चन्द्र यादव निवासी ग्राम कपारी मोड थाना शंकरगढ कमि0 प्रयागराज उम्र 22 वर्ष।

सम्बन्धित अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0-520/25 धारा-74/352/351(2) बीएनएस व 7/8 पॉक्सो एक्ट थाना मेजा कमिश्नरेट प्रयागराज।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1.उ0नि0 अनिल कुमार पाण्डेय थाना मेजा कमिश्नरेट प्रयागराज।

2.हे0का0 राजकुमार गुप्ता थाना मेजा कमिश्नरेट प्रयागराज।

थाना धूमनगंज पुलिस द्वारा 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

थाना धूमनगंज पुलिस द्वारा थाना स्थानीय के पंजीकृत मु0अ0सं0 293/2025 धारा 109(1) /309(4)/ 115(2)/ 351(3)/352 बी0एन0एस0 से प्रकाश मे आये 01 वांछित अभियुक्त राज पाण्डेय पुत्र जयप्रकाश पाण्डेय निवासी गधियांवा थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ को मुखबिर की सूचना पर आज दिनांक 24.09.2025 को नेहरू पार्क शनिधाम मंदिर के पीछे थाना क्षेत्र धूमनगंज से गिरफ्तार किया गया। नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी मुकदमा श्री सतेन्द्र कुमार , प्रोजेक्ट मैनेजर प्रीति बिल्डकॉन (सी0एम0 ग्रिड प्रोजेक्ट की कार्यदायी संस्था) द्वारा थाना धूमनगंज पुलिस को सूचना दी गयी कि कुछ व्यक्तियों द्वारा उनके

कार्यालय मे आकर उनके साथ मारपीट की गयी है। वादी द्वारा प्रस्तुत तहरीर के आधार पर थाना धूमनगंज पुलिस द्वारा उक्त अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

राज पाण्डेय पुत्र जयप्रकाश पाण्डेय निवासी गधियांवा थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 21 वर्ष।

सम्बन्धित अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0-293/2025 धारा109(1)/309(4)/115(2)/351(3)/352/3(5) बी0एन0एस0 थाना धूमनगंज कमिश्नरेट प्रयागराज।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1.उ0नि0 राजेश कुमार चौबे धूमनगंज कमिश्नरेट प्रयागराज।

2.हे0का0 अमित कुमार सिंह धूमनगंज कमिश्नरेट प्रयागराज।